न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2012/00074

अपील संख्या – 48/12

1. आंजन देवी बेवा कजोडी जाति गुर्जर निवासी रीझवास तहसील हिण्डौन
2. लीला पुत्र कजोडी पत्नि समय सिह जाति गुर्जर निवासी रीझवास हाल जुंगीन का पुरा हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
3. कमला पुत्री कजोड पत्नि जनक सिंह जाति गुर्जर निवासी रीझवास हालवासी केमरी तहसील नादौती जिला करौली

किन्नो पुत्री कजोडी पत्नि भगवान सिह जाति गुर्जर निवासी रीझवास तहसील हिण्डौन हालवासी जयसिहपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. जल्ली पुत्र अंगद जाति गुर्जर निवासी रीझवास तहसील हिण्डौन सिटी
2. दयाल पुत्र अंगद
3. सुमन बेवा प्रभू
4. साहब सिह पुत्र प्रभू
5. देवी सिह पुत्र प्रभू समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान रीझवास तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
6. गोविन्द पुत्र प्रभू जरिये संरक्षक माता खुद श्रीमति सुमन बेवा प्रभू जाति गुर्जर निवासी रीझवास तहसील हिण्डौन सिटी
7. मनोहरी पुत्र करण
8. मुकेश पुत्र लल्लू
9. कलावती बेवा लल्लू जातियान गुर्जर निवासीयान रीझवास तहसील हिण्डौन सिटी
10. बैंक आफ बडौदा शाखा ढिढोरा जरिये शाखा प्रबंधक
11. तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी
12. उप पंजीयक हिण्डौन सिटी

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 128/10 निर्णय व डिक्री दिनांक 7.2.11 न्यायालय उपजिला कलक्टर, हिण्डौन सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री अशोक निमनका
अभिभाषक रैस्पो0 श्री ईश्वर सोनी

दिनांक 03.09.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 7.2.11 न्यायालय उपजिला कलक्टर, हिण्डौन सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 जल्ली द्वारा एक वाद पत्र घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा न0 1025 रकबा 0.14, 1026 रकबा 0.12, 1027 रकबा 0.24, 1028 रकबा 0.14, 1030 रकबा 0.45, 1031 रकबा 0.48, 1034/1319 रकबा 0.20, 1040/1320 रकबा 0.15 कुल किता 8 कुल रकबा 1.92 है0 वाके ग्राम रीझवास तहसील हिण्डौन मे स्थित है। जिसमें वादी मृतक श्योराम 1/4 हिस्से के तथा प्रतिवादी न0 1 हिस्सा 1/8 का प्रतिवादी न0 2 लगायत 5 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:24:33 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

1/8 का प्रतिवादी न0 6 हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार है। खसरा न0 995 रकबा 0.42 मे वादी व प्रतिवादी न0 1 दयाल व मृतक श्योदास का 3/5 हिस्से के व प्रतिवादी न0 2 ता 5 हिस्सा 2/5 दर हिस्सा 11/34 हिस्से के तथा प्रतिवादी न0 7 व 8 1/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा ख0न0 300 रकबा 0.15 , 433 रकबा 0.01 मे वादी व मृतक श्योदान व प्रतिवादी न0 1 दयाल व मृतक भुम्मन 4/5 हिस्से के तथा प्रतिवादी न0 2 लगायत 5 हिस्सा 1/5 के खातेदार काश्तकार है। खसरा न0 430 रकबा 0.36 मे वादी व मृतक श्योदान व प्रतिवादी न0 1 हिस्सा 33/144 के खातेदार काश्तकार है। खसरा न0 170 रकबा 0.53 मे मृतक श्योदान सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार है। वादी व प्रतिवादी न0 1 के भाई व प्रतिवादिया न0 2 के ददीया ससुर है व प्रतिवादीगण 3 लगायत 5 के बाबा है। मृतक श्योदान का विवाह नही हुआ था तथा उसके कोई संतान नही थी इसलिए श्योदान वादी के पास ही रहता था, वादी व उसका परिवार एक ही है। और उसकी सेवा एवं देखभाल वादी ही करता था मृतक की भूमि पर वादी के अलावा अन्य पुत्रियों का कोई लेना देना नही है तथा कृषि भूमि पर उसके हिस्से की भूमि पर बिना रोक टोक शांतिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। जिसमे प्रतिवादीगणो द्वारा कभी ऐतराज नही किया गया। मृतक अपनी सेवा भाव से प्रसन्न होकर अपने हिस्से की खातेदारी की भूमियो का वसीयतनामा दिनांक 25. 12.09 संबंत 2066 मे अपनी स्वयं की वही मे रामकेश की कलम से तहरीर व तकमील करवा कर गवाह अतर सिह व लाखा कराकर कर दी तथा उक्त वसीयत सही सुन समझकर अपना अगूठा निशानी गवाहो के सामने लगा दिया। श्योदान की मृत्यु के पश्चात उसके फूलो को गंगाजी मे विसृजित करने के लिए वादी ही गंगाजी लेकर गया और ब्राहम्ण भोज भी वादी ने अपने रिश्तेदारो की उपस्थिति मे किया और पगडी की रस्म रिती रिवाज अनुसार की गई। इसी अनुसार मृतक की हिस्से की भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज व दखील है और उक्त भूमि को अपने नाम कराने का अधिकारी है। इस प्रकार वाद पत्र मे मुतजिका मद न0 2 , मद न0 7 मे हिस्सा 1/4, मद न0 3 व 7 मे 2/5 की खातेदारी करने का अधिकारी वसीयत नामा अनुसार है। इसी प्रकार मृतक भुम्मन की भूमि पर भी वादी वसीयतनामा अनुसार मद न0 4 मे वादी 1/5 हिस्से के अलावा अपने भाई मृतक भुम्मन व मृतक श्योदान के हिस्सा का कराने का अधिकारी है। इसी प्रकार मद न0 4, 5 व7 व 6 मे वर्णित आराजी मे मृतक के हिस्से की भूमि मे अपने नाम कराने का अधिकारी है। उक्त मृतको की भूमि वादी अपने नाम कराने के लिए वादी ने प्रतिवादीगणो से कराने को कहा तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट मना कर दिया। इसलिए वाद पेश करना आवश्यक हुआ। अतः वादी का वाद पत्र अमर का डिक्री फरमाया जावे कि वाद पत्र के मद न0 2 मे जल्ली को 1/4 हिस्से का, मद न0 3 मे 2/5 का मद न0 4 मे 3/5 का मद न0 5 मे 22/144 हिस्से का तथा मद न0 6 मे सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और रिकार्ड मे अमल किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी को मुतवादिया के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त मे माने मजाहमत नहीं करे ना [illegible] अन्य से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 [illegible] अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा दिनांक 7.2.11 अनुसार डिक्री किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:24:33 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय परिस्थितियों के विपरीत व रूयेदाद मिसल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजीयात मे अपीलांट मृतक कजोडी की वारिसान होने के नाते 1/5 हिस्से की खातेदार काश्तकार है और अपने हिस्से पर मौके पर काबिज एवं दलील है। जिससे अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबंध किसी प्रकार का नही है। रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद दायर कर मृतक प्रभू के वारिसान मे केवल रेस्पो0 संख्या 2 ता 5 के वारिस हुए रेस्पो0 न0 2 ता 5 से साज कर बरूये राजीनामा दावा वादी डिक्री करवा लिया है और रेस्पो0 अपीलांट के हिस्से को स्वयं ही हडप करने की नियत से अधिनस्थ न्यायालय मे मृतक कजोडी के वास्तविक वारिसान को रिकार्ड पर हिं नही आने दिया, और दवा डिक्री करवा लिया इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का आदेश गैर कानूनी होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने दावा वादी की प्लीडिग से हटकर बरूये राजीनामा डिक्री किया है जिसका उसे कोई कानूनन अधिकार नही था। इस बिना पर भी अधिनस्थ न्यायालय के आदेश व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्यो पर भी गौर नही किया कि जिन खसरा न0 का वादी अपीलांट ने अपनी रिलीफ के पैरा संख्या 1 मे अपने हिस्से मे डिक्लेरेशन नही चाहा है उनका डिक्लेरेशन भी अदालत मातहत ने राजीनामा के आधार पर रेस्पो0 के पक्ष मे किया है। इस बिना पर भी मातहत न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने ना ही तो वादी ने और ना ही प्रतिवादीगण ने अपीलांट को पक्षकार बनाने का जिक किये वगैर न्यायालय को मुगालते मे रखकर अपीलांट की बैक पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर दावा डिक्री किया है और पक्षकार नही होने के कारण उक्त वाद की जानकारी अपीलांट को होना संभव नही हो सका और अब दिनांक 19.12.11 को स्वयं रेस्पो0 ने ही अपीलांट को अपना दावा डिक्री होने बाबत तथ्य का खुलासा किया तब जानकारी होने पर नकल प्राप्त की जाकर जानकारी के आधार पर अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अतःअपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावे एवं आराजीयात विवादग्रस्त मे अपीलांट का हिस्सा 1/5 घोषित किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस मे तर्क दिया कि विवादित आराजीयात से अपीलांट का किसी प्रकार का कोई सबंध वास्ता दूर तक का नही है। अपीलांट द्वारा स्वयं को कजोडी की पत्नि एवं पुत्रीयां होना मानकर अपील पेश की गई है। जबकि कजोडी का जायज वारिस प्रभू था जिसके फौत होने के कारण उसके विधिक वारिसान सुमन देवी, सहाब सिह,देवी सिह व गोविन्द होने से उनको दावे मे आवश्यक पक्षकार बनाये जाकर अधिनस्थ न्यायालय मे दावा पेश किया था। अधिनस्थ न्यायालय मे दावा विचाराधीन रहते हुए वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने के कारण प्रत्येक पक्षकारा द्वारा राजीनामा एवं शपथ प्रस्तुत किया गया था एवं ग्राम के पंच पटेलो के सामने भी राजीनामा किया गया था जिसकी सूचि भी अधिनस्थ न्यायालय मे पेश की गई थी। जिसमे कही पर भी अपीलांटगण का कजोडी के वारिसान होने के सबंध मे किसी भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:24:33 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

पक्षकार द्वारा कथन नही किया गया है। यदि अपीलांट कजोडी के विधिक वारिसान होते तो कजोडी की मृत्यु के उपरान्त कजोडी की विरासत मे कजोडी के विधिक वारिसान के नाम का राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाता है। जबकि किसी भी राजस्व रिकार्ड मे कजोडी के वारिसान के रूप मे अपीलांटगण का नाम कही पर भी दर्ज नही है। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात मे अपीलांटगण का किसी प्रकार का हक एवं अधिकार निहित नही है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अपील के समर्थन मे पेश नही किया है जिससे की वह कजोडी के वारिसान साबित हो सके। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार ही राजीनामा विधि अनुसार तस्दीक किया जाकर ही वाद पत्र को विधिवत रूप से डिक्री किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात खसरा न0 1025 रकबा 0.14, 1026 रकबा 0.12, 1027 रकबा 0.24, 1028 रकबा 0.14, 1030 रकबा 0.45, 1031 रकबा 0.48, 1034/1319 रकबा 0.20 , 1040/1320 रकबा 0.15 कुल किता 8 कुल रकबा 1.92 है0 वाके ग्राम रीझवास तहसील हिण्डौन मे स्थित है। जिसमे मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2063 से 2066 करण पुत्र नीके हिस्सा 1/2 [illegible] , जल्ली, श्योदान पि0अंगद हिस्स 1/4 राहिन बैक आफ बडौदा शाखा ढिढोरा मुर्तहीन दयाल पुत्र अंगद हिस्सा 1/8 देवी सिह,साहब सिह, गोविन्द सिह पिसरान प्रभू नाबा0 संरक्षक माता सुमनदेवी बेवा प्रभूराम हिस्सा 1/8 जाति गुर्जर सा.देह के नाम दर्ज है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अपीलांटगण मृतक किशोरी के विधिक वारिसान होने के कारण विवादित आराजीयात मे उनका हक निहित है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे की वह मृतक किशोरी के जायज वारिसान साबित हो सके। चूकिः अपीलांट एवं रेस्पो0 द्वारा जो सजरा खानदान दर्शित किया है उसमे भिन्नता है। पत्रावली मे इस प्रकार का कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है जिससे की अपीलांटगण मृतक किशोरी के वारिसान सिद्व हो सके। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे को विधिवत रूप से तस्दीक किये जाने एवं आपसी सहमति के आधार पर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। विवादित आराजीयात मे अपीलांट के हक एवं अधिकार निहित होना सिद्व नही होता है । इस प्रकार अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी के प्रकरण संख्या 128/10 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7.2.11 को यथावत रखा जाता है।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 03.09.2025 को लिखा [illegible] सरे इजलास सुनाया गया।

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:24:33 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर